प्रेस नोट ***जनपद संतकबीरनगर*** ***दिनाँक 02.09.2026***

ऑपरेशन मुस्कान के तहत खलीलाबाद पुलिस की बड़ी सफलता

घर से गईं नाबालिग बालिका एवं उनकी बुआ को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में गुमशुदा/लापता बच्चों एवं व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे *ऑपरेशन मुस्कान* अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जयप्रकाश दूबे* के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस एवं सर्विलांस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का विवरण
दिनांक 22.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि शिकायतकर्ता की नाबालिग पुत्री एवं उसकी बुआ दिनांक 21.08.2026 को घर से बाहर गई थीं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटीं। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बावजूद दोनों का पता नहीं चल सका।
प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 782/2026, धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर दोनों की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीम को लगाया गया।

तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हुई सकुशल बरामदगी
दोनों अपने साथ मोबाइल फोन लेकर नहीं गई थीं। इसके बावजूद थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए लगातार अथक प्रयास किए गए। पुलिस टीम के निरंतर प्रयास एवं तकनीकी माध्यमों के कुशल प्रयोग से दोनों की दूसरे राज्य में मौजूदगी की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों को सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में दोनों के घर से नाराज होकर दूसरे राज्य चले जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते हुए दोनों को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

पुलिस टीम का सराहनीय कार्य
ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस एवं सर्विलांस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई, तकनीकी साक्ष्यों के कुशल प्रयोग एवं अथक प्रयासों से दोनों को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों से मिलाया गया।

बरामदगी टीम- उ0नि0 श्री विनय कुमार पाण्डेय, चौकी प्रभारी तामेश्वरनाथ, आरक्षी मनीष प्रभात, महिला आरक्षी नीतू।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 346 वाहनों से 4,54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.09.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 346 वाहनों से 4,54,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित को थाना दुधारा की साइबर सेल टीम ने दिलाई राहत, ₹26,205/- की धनराशि कराई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम तथा साइबर अपराध के पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा की साइबर सेल टीम द्वारा सतत एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक साइबर फ्रॉड पीड़ित की ₹ 26,,205/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आवेदक गोपीचन्द पुत्र श्री राम तीरथ, निवासी ग्राम दुधारा, थाना दुधारा, जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2026 को साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

आवेदक के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर आवेदक को लकी ड्रॉ मे रॉयल इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल जीतने का लालच देकर तथा छल-कपट करके आवेदक से कुल ₹26,205/- रुपये की धनराशि किसी अज्ञात बैंक खाते में ट्रांसफर करा ली। कुछ समय पश्चात आवेदक को अपने साथ साइबर ठगी होने की जानकारी हुई, जिसके उपरांत उसके द्वारा तत्काल साइबर फ्रॉड के संबंध में शिकायत संख्या 33108260227227 दर्ज कराई गई।

शिकायत प्राप्त होते ही थाना दुधारा की साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त का0 ऋषिकेश यादव व अन्य द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से प्रभावी समन्वय एवं निरंतर पैरवी की गई। पुलिस टीम के त्वरित एवं सराहनीय प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रथम चरण में ही पीड़ित की फ्रॉड हुई सम्पूर्ण धनराशि ₹26,205/- उसके खाते में सफलतापूर्वक वापस कराई गई।

पीड़ित द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस एवं थाना दुधारा की साइबर सेल टीम द्वारा की गई त्वरित, प्रभावी एवं सराहनीय कार्रवाई के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

साइबर सेल टीमः-

- थानाध्यक्ष श्री अमित कुशवाहा
- उ0नि0 श्री अनिल मिश्रा (प्रभारी साइबर सेल)
- का0 अनुज कुमार
- का0 ऋषिकेश यादव
- रिक्रूट का0 हर्ष सिंह
- म0 रिक्रूट का0 एकता सिंह

जनहित में अपीलः-

जनमानस से अपील है कि किसी भी अनजान फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी ऑफर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा परिचित बनकर धनराशि की मांग किए जाने पर बिना सत्यापन के कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी अथवा साइबर अपराध का शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर धनराशि को सुरक्षित रखने एवं वापस कराने का प्रयास किया जा सके।

संतकबीरनगर पुलिस – आपकी सेवा में सदैव तत्पर

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 गुण्डा एक्ट में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बाल अपचारी को किया गया निरूद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 02.09.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 621/2026 धारा 64(2)(m),351(2) बीएनएस व 5L,5J(ii)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 01.09.2026 को थाना धनघटा पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म कारित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

निरुद्ध करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक श्री दिलीप सिंह, व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार दूबे, क0 रामप्रवेश राजभर।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री उमाशंकर त्रिपाठी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर अभियुक्त मुस्ताक पुत्र अब्दुल हमीद ग्राम दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 02.09.2026 को रामजान तिराहा दुर्गजोत तिराहे के पास से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 345/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्ड नियत्रंण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद संतकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मुस्ताक पुत्र अब्दुल हमीद ग्राम दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त शिवम यादव -

01. 68/2019 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर
02. 83/2019 धारा3/5/8 सीएस एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- उ0नि0 श्री सुरेश यादव, हे0का0 रमेश मिश्रा, का0 पुष्पेन्द्र पाल।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दुबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 805/2026 धारा 65(1), 351(3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोहम्मद नसीम पुत्र पुत्र मो0 अली उर्फ बाकर निवासी ग्राम गौसपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 01.09.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 02.09.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0 नि0 श्री जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री इल्ताफ खान, हे0 का0 पप्पू सिंह, का० रजनीश यादव, का० प्रदीप कुमार पटेल, म0का0 ज्योति पासवान।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आर्म्स एक्ट के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 19.08.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा उ0नि0 श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त काशीनाथ चौहान पुत्र अंगद चौहान निवासी बयारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद नाजायज चाकू (रामपुरी) बरामद किया गया, जिसके आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री माता प्रसाद मिश्र द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1904/2008 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को जुर्मस्वीकार/दोष सिद्ध के आधार पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बिताई गयी अवधि की सजा मुबलिग 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी न करने पर अभियुक्त को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें में 04 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 24,000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 02.09.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 04 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 24,000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी टिहुल निवासी नटवा बिचऊपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर दिनांक 08.03.2022 को तहरीर दिया गया कि अभियुक्तगण 01. वासुदेव पुत्र फकीर 02. जगदीश पुत्र रामलाल 03. शान्ति पुत्री रामसुमेर 04. राजमती पुत्री रमेश निवासीगण नटवा बिचऊपुर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध गाली गलैज करते हुए लाठी डण्डा लात मुक्का मारना पीटना तथा मारपीट के दौरान वादी मुकदा का हाथ फ्रैक्चर हो जाने के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कर उ0नि0 श्री नरेन्द्र तिवारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 49/2022 धारा 325,323,504 भा0द0वि0 थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म स्वीकार/दोषसिद्ध के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा तथा क्रमशः धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध हेतु 300-300 रुपये, धारा 325 भा0द0वि0 के अपराध हेतु 5000-5000 रुपये, धारा 504 भा0द0वि0 के अपराध हेतु 700-700 रुपये, कुल 6000-6000 रुपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिवास का साधारण कारावास भुगताना होगा।